संख्या-ई-8-1737/दस-1995

प्रेषक,

श्री माता प्रसाद,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/
विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

लखनऊ : दिनांक : 17-11-1995

विषय:-शासकीय निर्माण कार्यों का सम्पादन।

—x—

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासकीय निर्माण कार्य मुख्यतः लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराये जाने की व्यवस्था है। विगत कुछ समय से यह देखा गया है कि कई निर्माण एजेन्सियों, जिनका गठन विशिष्ट प्रयोजन/ विभागीय निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु किया गया था, द्वारा भी अन्य सरकारी विभागों के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। यह पाया गया कि ऐसा होने से एक तरफ तो लोक निर्माण विभाग के पास उपलब्ध "इन्फ्रा स्ट्रक्चर" का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ तकनीकी दृष्टिकोण से भी कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

2- इस प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर संस्तुति देने हेतु प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) शासकीय निर्माण-कार्य हेतु एजेन्सियों का चयन

(क) 50.00 लाख से कम के मानकीकृत भवनों का निर्माण कार्य लोक

———2/

निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के माध्यम से ही कराया जाय।

(ख)-- रु0 30.00 लाख से 125.00 लाख तक की लागत के मानकीकृत भवनों का निर्माण शासकीय निर्माण कार्यों हेतु अधिकृत किसी किसी भी निर्माण एजेन्सी से कराया जा सकता है। प्रचलित नियमों के अन्तर्गत "सेन्टेज" आदि की व्यवस्था यथावत रहेगी।

(ग) रु0 125.00 लाख से ऊपर के सभी भावनों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग अथवा राजकीय निर्माण निगम से ही कराया जाय।

(घ) समस्त गैर मानकीकृत भावनों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग अथावा राजकीय निर्माण निगम द्वारा ही कराया जाय क्योंकि इनके पास मानकों के निर्धारण के लिए आवश्यक तकनीकी ढाँचा उपलब्ध है।

उपरोक्त वर्गीकरण में "मानकीकृत भावनों से तात्पर्य, ऐसे भवनों से है, जो विभिन्न जनपदों में एक ही प्रकार की फंक्शनल आवश्यकता को पूरा कराये जाने के लिये बनाये जाते हैं और जिनके मानचित्र एवं आगणन आदि स्थिर कर दिये गये हैं।

"उदाहरण स्वरूप-- थाना, तहसील, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, स्कूल आदि।

(ङ) उपरोक्त प्रतिबन्ध किसी निर्माण एजेन्सी के विभागीय कार्यों के लिये लागू नहीं होगा।

(च) कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु, यह भी आवश्यक है कि निर्माण एजेन्सियाँ गैर विभागीय शासकीय कार्य उसी सीमा तक लें, जहाँ तक उनकी पर्यवेक्षीय क्षमता हो। अतः यह भी निर्णय लिया गया है कि विभागों द्वारा यदि कार्य लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/ राजकीय निर्माण निगम के अतिरिक्त किसी अन्य निर्माण एजेन्सी से कराने का निर्णय लिया जाता है, तो कार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करते समय इस आशय का प्रमाण-पत्र निर्माण एजेन्सी से प्राप्त कर संलग्न किया जायेगा कि

उक्त निर्माण एजेन्सी में अधिशासी अभियन्ता स्तर पर (जो लोक निर्माण विभाग के समतुल्य हों, भले ही निर्माण एजेन्सी में उसका पदनाम कुछ भी हो) बकाया में कार्यभार रु० 5.00 करोड़ से अनधिक है।

### (ii) लोक निर्माण विभाग से कार्य कराने की प्रक्रिया में संशोधन

वर्तमान में नियमों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो शासकीय निर्माण कार्य कराये जायेंगे उसके लिए धनराशि की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक में ही होगी। साथ ही साथ इस प्रकार के कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिष्ठान व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु परिव्यय से 27.23 प्रतिशत की कटौती भी की जाती है। चूँकि धनराशि विभागीय आय-व्ययक में व्यवस्थित नहीं होती अतः विभागीय स्तर पर नियंत्रण के अभाव का आभास होता है और साथ-साथ चूँकि अन्य सरकारी एजेन्सियाँ मात्र 15 प्रतिशत सेन्टेज लेती हैं, अतः लोक निर्माण विभाग से कार्य कराये जाने पर विभाग के परिव्यय से अधिक कटौती अधिष्ठान के रूप में हो जाती है। उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि लोक निर्माण विभाग शासकीय कार्यों को भी "डिपाजिट कार्य" के रूप में कर सके। ऐसा करने से कार्यों की व्यवस्था विभागीय आय-व्ययक में होगी और अधिष्ठान व्यय के लिये अन्य एजेन्सियों की भाँति लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए भी 15 प्रतिशत की कटौती होगी। इस सम्बन्ध में नियमों में वाँछित संशोधन अलग से किया जायगा।

### (iii) निर्माण एजेन्सी के विस्तार पर रोक

शासकीय निर्माण कार्यों के लिए निर्माण इकाईयों की आवश्यकता एवं वर्तमान में तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सभी निर्माण एजेन्सियों में नयी नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय। इस सम्बन्ध में आरक्षण की पूर्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

——4/

(IV) निर्माण एजेन्सियों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराया जाना

वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार कार्य प्रारम्भ होते समय ही निर्माण एजेन्सियों को लगभग पूरी धनराशि " एडवान्स" के रूप में उपलब्ध करा दी जाती है, जबकि धनराशि की आवश्यकता एक निश्चित फेजिंग के अनुसार ही होती है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी मात्रा में शासकीय धनराशि एजेन्सियों के बैंक खातों में पड़ी रहती है जिससे राजकोष पर निरर्थक भार पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि निर्माण एजेन्सियों को पूरी धनराशि को अग्रिम के रूप में दिये जाने की व्यवस्था को पुनरीक्षित किया जाय और तद्नुसार वित्त विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए समस्त विभागों को अवगत कराया जाय।

(V) निर्माण एजेन्सियों को सेन्टेज देने की व्यवस्था का पुनरीक्षण

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माण एजेन्सियों को कार्य की वास्तविक लागत का 15 प्रतिशत सेन्टेज अनुमन्य है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समय-समय पर बढ़ने वाली लागत पर न केवल आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है, अपितु उसके ऊपर सेन्टेज शुल्क भी अतिरिक्त प्राप्त होता रहता है। वर्तमान व्यवस्था में निर्माण एजेन्सियों को कोई " इन्सेंटिव " नहीं है कि वह निर्धारित अवधि में एवं निर्धारित लागत में कार्य सम्पन्न करायें। इस व्यवस्था/का पुनरीक्षण किया जाय ताकि सेन्टेज की धनराशि मूल लागत के आधार पर स्थिर कर दी जाय एवं विशिष्ट परिस्थितियों में ही यदि प्रशासनिक विभाग के कारण विलम्ब होता है तो " केस बाइ केस" आधार पर आगणनों में अतिरिक्त वृद्धि पर सेन्टेज शुल्क दिया जाय। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया को पुनः निर्धारित कर विस्तृत निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

3- निर्माण कार्य हेतु एजेन्सियों के चयन सम्बन्धी आदेश शासनादेश की तिथि से प्रभावी होंगे अर्थात ऐसे मामले पुनरीक्षित नहीं किये जायेंगे, जहाँ निर्माण एजेन्सियों का निर्धारण हो चुका है।

- - - - - -5/

कृपया इन निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भावदीय,

( माता प्रसाद )
मुख्य सचिव